सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राज्य पंजीयक आधार परियोजना, राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

AADHAAR

क्रमांकः F8(418)/DoIT/Gen/21/06885/2022 दिनांक : 13/10/2022

अति. निदेशक / संयुक्त निदेशक (SA)
/ उपनिदेशक (ACP)
समस्त जिला

विषयः– 10 वर्ष पूर्व आधार बनवाने वाले व आदिनांक तक कोई भी अपडेट नंही करवाने वाले आधार नम्बर धारको बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप सभी को विदित है कि राज्य में वर्ष 2011 से आधार नामांकन कार्य प्रारंभ हुआ था और राज्य में आज 93 प्रतिशत जनसंख्या आधार नामांकित है। आधार नम्बर का उपयोग विभिन्न सरकारी योंजनाओ एवं सेवाओं में सत्यापन के लिये किया जा रहा है। इन योंजनाओ व सेवाओं का लाभ उठाने के लिये आधार नम्बर धारकों को अपनें नवीनतम व्यक्तिगत विवरण से आधार डेटा को अपडेट रखना अपेक्षित है ताकि आधार नम्बर धारक के प्रमाणिकरण / सत्यापन में असुविधा ना हो।

इसी क्रम में यूआईडीएआई नई दिल्ली द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये है कि **"ऐसे व्यक्ति जिन्होनें अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था एवं तदोपरांत विगत सालों में कभी भी अपडेट नही करवाया है ऐसे आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है।"**

सभी आधार नम्बर धारकों को यूआईडीएआई द्वारा दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की गई है जिसके द्वारा आधार नम्बर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को आधार डेटा में अपडेट कर सकता है।

इस सुविधा को यूआईडीएआई के मॉय आधार पोर्टल पर ऑनलाईन एक्सेस किया जा सकता है या किसी भी नजदीकी आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

सभी जिलों से यह अपेक्षा है कि वह इन निर्देशों का जिले में व्यापक प्रचार–प्रसार करे और आधार नम्बर धारकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करे।

13/10/22
(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी, यूआईडी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर समस्त।
4. निदेशक, यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।
5. रक्षित पत्रावली।

13/10/2022
उपनिदेशक, यूआईडी